Regarding need to frame a national policy for impounded vehicles kept in police stations for violation of traffic rules-laid

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): देश के थानों में जब भी कोई एक्सीडेंट का मामला दर्ज होता है तो व्यक्ति के साथ साथ उसके वाहन को भी जब्त करके उसे थानों में जमा कर दिया जाता है । देश भर के हजारों धानों में इस प्रकार के लाखों वाहन वहाँ पर पड़े पड़े सड़ रहें हैं और इस प्रकार से देश की बहुत बड़ी संपत्ति बर्बाद हो रही है । इस प्रकार के वाहनों की देखभाल पर सरकार का लाखों रुपये नियमित तौर पर खर्च होते हैं । मेरा मानना है कि एक व्यक्ति अपराधी हो सकता है परंतु इसमे किसी भी वाहन की कोई गलती नहीं होती है, फिर क्यूँ उसे एक मानव के अपराध की सजा भुगतनी पड़ती है । इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि थानों में जब्त किए गए वाहनों के संबंध में राष्ट्रीय नीति बनाई जाए और ऐसी व्यवस्था की जाएं कि जब्त वाहनों के मामलों में वाहन को उसके बीमित मूल्य के समान राशि को सरकार के खजाने मे दंड स्वरूप जमा करके उस वाहन को छोड़ देना चाहिये । इससे सरकार देश के बहुमूल्य संसाधनों की बर्बादी से बचकर, देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती मिलेगी । इसलिए मै सरकार से इस सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग करता हूँ ।